

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर  
वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	परियोजना का नाम	आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु।		
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर छत्तीसगढ़।		
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु।		
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	<p>संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 1551P, 1554P, 1555P, 1556P, 1383P, 1373P, 1374P, 1329P, 1346P, 1347P, 1309P, 1322P, 1789P, 1997P, 1998P, 1999P, 1989P, 1978P, 1973P, 1977P, 1971P, 1972P, 1970P, रकबा 0.975 हे.</p> <p>आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 1401, 1402, 1333, 1334, 1336, 1341 रकबा 0.379 हे.</p> <p>राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 1, 28, 27, 459, 296/1, 367, 191, 385, 273, 570, 3028, 2446, 2434, 2508, 2509, 2340, 1999, 2000, 2510, 2511, 1996, 689, 692, 693, 477, 341, 324, 533, 101, 550, 551, 93, 40, 1060, 670, 604, 610, 533, 601, 534, 540, 35, 36, 46, 49, 301, 337, 303, 330, 331, 333, 336, 377, 689, 690, 707, 709, 715, 720, 722, 731, 733, 758, 765, 793, 802, 479, 37, 30, 105, 126, 117, 293, 295, 300, 301, 127, 128, 133, 139, 120, 115, 116, 117, 96, 97, 141, 93, 94, 22, 30, 31, 33, 34, 35, 446, 601, 8, 7, 207, 210, 211, 13, 324, 314, 311, 305, 794, 360, 327, 351, 354, 358, 268, 267, 276, 285, 280, 300, 309, 310, 321, 804, 805, 806, 807, एवं 813 रकबा 2.605 हे. कुल रकबा 3.959 हे. आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित है।</p>		
5.	वन भूमि का विस्तृत विवरण	वनखण्ड	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल (हे.)
	(क) आरक्षित वन	दन्तेवाड़ा गीदम	1401, 1402, 1333, 1334P, 1336 एवं 1341	0.379
	(ख) संरक्षित वन	दन्तेवाड़ा गीदम नेलसनार बचेली	1551P, 1554P 1555P, 1556P, 1383P, 1373, 1374P, 1329P, 1346P, 1347P, 1309P, 1322P, 1789P, 1997P, 1998P, 1999P, 1989P, 1978P, 1973P, 1977P, 1971P, 1971P, 1972P एवं 1970P	0.975

	(ग) राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ के जंगल)	कुआकोण्डा भैरमगढ़ कटेकल्याण दन्तेवाड़ा गीदम	1, 28, 27, 459, 296/1, 367, 191, 385, 273, 570, 3028, 2446, 2434, 2508, 2509, 2340, 1999, 2000, 2510, 2511, 1996, 689, 692, 693, 477, 341, 324, 533, 101, 550, 551, 93, 40, 1060, 670, 604, 610, 533, 601, 534, 540, 35, 36, 46, 49, 301, 337, 303, 330, 331, 333, 336, 377, 689, 690, 707, 709, 715, 720, 722, 731, 733, 758, 765, 793, 802, 479, 37, 30, 105, 126, 117, 293, 295, 300, 301, 127, 128, 133, 139, 120, 115, 116, 117, 96, 97, 141, 93, 94, 22, 30, 31, 33, 34, 35, 446, 601, 8, 7, 207, 210, 211, 13, 324, 314, 311, 305, 794, 360, 327, 351, 354, 358, 268, 267, 276, 285, 280, 300, 309, 310, 321, 804, 805, 806, 807, एवं 813	2.605
		योग		3.959
6.	आवेदित वनक्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति एवं प्रकार	क्षेत्र की साईट क्वालिटी III, va एवं ivb तथा घनत्व 0.4 से 0.6 तक है।		
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	वृक्षों का विदोहन नहीं किया जायेगा।		
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरूत्पादन की स्थिति	अपर्याप्त।		
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी. / वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)।	आवश्यकता नहीं हैं।		
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण बायेस्पेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां तो प्रतिवेदन करें।	नहीं है।		
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी	आवश्यकता नहीं हैं।		

	क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या)	
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें।	नहीं।

### प्रमाण-पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है।

स्थान :- दन्तेवाड़ा  
दिनांक :- 28-03-2018.

(आर.के. जांगड़े)

भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा

Divisional Forest Officer

Dantewada Division

DANTEWADA (C.G.)